

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक-14.10.2025 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक माह सितम्बर-2025 की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री राज कुमार, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री कुमार प्रशांत, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक-29.08.2025 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्र०	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ-पत्र, वांछित कागजात।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

5. माह सितम्बर-2025 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल-50 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:-

नये आवेदन	लंबित आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस
50	0	32	14	04

6. प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024, 14.11.2024 एवं 29.08.2025 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-

(क) प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु मार्ग भिन्न एवं कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने पर पहले या बाद में समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य होगा।

(ग) प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.05.2025 को समय-अन्तराल पर प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :- किसी बस पड़ाव से अलग-अलग गंतव्य तक यात्रियों के आवागमन के लिए पड़ाव के भिन्न बिन्दु/स्थल से पूर्णतः भिन्न मार्गों पर बसों के परिचालन की स्थिति में कंडिका 6 (क)(ख) को शिथिल किया जा सकेगा।

7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को समान मानते हुए तदनुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।

8. नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :- परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय-सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय/स्व-अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :-

- (i) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

- (ii) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (iii) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (Fitness) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (v) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (viii) आवेदित मार्ग का वैद्य नक्शा/नजरी नक्शा की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन।
- (x) विहित प्रपत्र में 22 बिंदु का शपथ-पत्र।

नोट:-शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।)

- (xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
- (xii) वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
- (xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (xv) पुराना परमिट समय-सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
- (xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
- (xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
- (xviii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय-सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय-सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

9. आवेदित वाहनों के समय-सारणी का प्रकाशन:-

- (i) प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय-सारणी को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाईट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि रहित समय-सारणी समर्पित की जाए। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय-सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

✓ d L

10. आपत्ति आमंत्रित करना:-

(i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ-पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।

(ii) समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/-रु० निर्धारित है।

(iii) प्राधिकार को समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति से इतर किसी विशेष सूचना देने पर कोई आपत्ति शुल्क देय नहीं है। कार्यालय सूचना को एजेंडा/प्रोसिडिंग में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

11. आपत्तिकर्ता का दायित्व :-

(i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्सुरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, एच०एस०आर०पी०, भी०एल०टी०डी० अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रू० 10000/- अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता है।

(iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रमाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन /आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।

(iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई-मेल:- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :- सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 वर्ष से अधिक	100



सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. **गति सीमा का पालन :-** सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस- 20-60 कि०मी०/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत-10-60 कि०मी०/घंटा

14. **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :-** जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" **First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।
15. **स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :-**
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की मूल प्रति।
(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)
(iii) प्रयोजन का साक्ष्य।
(iv) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
(v) सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :-स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(iii) फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)
(iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
(v) फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।
(vi) सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)

16. **(क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण :-**

परमिट होल्ड करना :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

- (ii) प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो सक्षम अधिकार से निर्गत वंशावली)
 (iii) वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम अधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(ख) परमिट रिस्टोर करना :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- परमिट की मूल प्रति।
- वाहन के सभी मान्य कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।
- प्रयोजन का साक्ष्य।
- स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का फोटो (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
- मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन।

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- आवेदक का फोटो-03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- आवेदक का फोटो-02
- एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

17. सामान्य निदेश

- इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को सारण/दरभंगा प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- परमिट प्राप्त बस, जो सारण/दरभंगा के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-379 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में निर्धारित शुल्क प्राप्त करते हुए परमिट प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा, पूर्व की कार्यवाही में प्रकाशित प्रतिहस्ताक्षर शुल्क इस हद तक संशोधित किया जाता है।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव / सभी परमिटधारी)

- (ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ वाहन स्वामी द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही इस राज्य/तिरहुत प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डीटीओओ तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत/आरटीओ सचिव /सभी परमिटधारी)

- (iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन :- यदि किसी वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाएगा। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने की शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

(अनुपालन: आरटीओ सचिव /सभी परमिटधारी)

- (iv) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डीटीओओ तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत /सभी परमिटधारी)

- (v) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTID स्थापित एवं सक्रिय होना:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTID स्थापित एवं सक्रिय किया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 द्वारा VLTID स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177,179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा

सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक-5549, दिनांक-14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत / सभी परमिटधारी)

(VI) स्टेज कैरेज परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :-

परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना के निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय-समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम-1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989, बिहार मोटरयान नियमावली-1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम-1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(VII) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(VIII) सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आगामी बैठक से पहले तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा।

कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है, वैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/ सभी परमिटधारी)

0 d

(IX) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

(X) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XI) परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहनों की जाँच :- इस प्राधिकार के आदेश सं0- 3040 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर (तिरहुत प्रमंडल) में पदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को प्राधिकृत किया गया है। अतः प्राधिकार के परमिट से संबंधित सभी वाहनों का निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन: मोटरयान निरीक्षक, आर0टी0ए0 मुजफ्फरपुर)

(XII) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।

(XIII) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमितों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(XIV) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमित प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।

(XV) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(XVI) आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :-

- (क) वाहन स्वामियों को पुनः निदेश दिया गया कि परमिट से आवृत वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट कार्यालय में प्रत्यर्पित कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत है एवं उसी वाहन से उसी मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व निर्गत परमिट को बैठक की तिथि से बैठक की तिथि छोड़कर सात दिन पूर्व तक प्रत्यर्पण करना आवश्यक है।

नोट :-राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह के बाद ही संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्यर्पण की शर्त पर नया परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(XVII) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/लिपिक)

(XVIII) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

(XIX) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

(XX) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- (क) अपर सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14344 दिनांक-11.12.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत परमिट प्राप्त करने हेतु मार्गों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि (i) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से/होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया

o d

गया है। (ii) यदि लाभुक कोई नया मार्ग हेतु आवेदन देना चाहते हैं जो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए/से जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो तो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा सकता है, ताकि परिवहन विभाग से मार्ग अधिसूचित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

(ख) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा MMPPY मार्ग पर परमिट हेतु आवेदनों पर वर्णित योजना हेतु विशेष रूप से मार्ग अधिसूचित होने के कारण केवल MMPPY बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

(ग) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा यदि सामान्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है तब सामान्य मार्ग पर परिचालित बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XXI) वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं० अद्यतन कराने के संबंध में :- परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से मोबाईल नं० लिंक नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं० अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन: सभी परमिटधारी)

(XXII) यात्री वाहनों में परमिट शर्तों के अनुरूप आवश्यक सामग्री/उपकरण उपलब्ध कराना :- सवारी गाड़ी में परमिट शर्त के अनुसार अग्निशामक उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु सुरक्षित सीटें, आपातकालीन निकास द्वार, शिकायत पंजी, वाहन कक्ष की समुचित सफाई की व्यवस्था, अश्लील गाना बजाने पर निषेध आदि का प्रावधान है। परन्तु वाहनों में इन आवश्यक पहलुओं के अभाव में यात्री सुरक्षा/सुविधा प्रभावित होती है। अतः वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपने वाहन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि उक्त का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध जाँच कर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट शर्तों के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के अधीन नियमानुसार जुर्माना/आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XXIII) परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :- परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले वैसे मामले :-

- जिसमें परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमितों का नवीकरण किया जा सकेगा।
- जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमितों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ-पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को विलोपित करते हुए जाँचोपरान्त यथा उपयुक्त अधिसूचित मार्ग पर नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।
- जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/लिपिक)

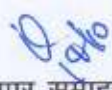
18. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :-

(i) कतिपय वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्ट एशोसिएशन के द्वारा सूचित किया गया है कि पर्व-त्योहार/मेला/विशेष प्रयोजन में यात्रियों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सभी प्रकार के बसों को आवश्यकतानुसार स्पेशल परमिट निर्गत करने का निर्णय लिया जाता है। परमिट निर्गत करते समय यह देखा जाएगा कि दूरी के अनुसार अनावश्यक ठहराव कम से कम हो।

(ii) परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

- (iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (iv) बिहार मोटरयान नियमावली-1922 के नियम-16(C) एवं 29(I) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (v) किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।
- (vi) परमिट हेतु आवेदन में समय-सारणी को छोड़कर अन्य लिपिकीय भूल/त्रुटि को सुधार करते हुए जुर्माना के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
- (vii) ई-चालान पोर्टल का सर्वर सुचारु रूप से काम नहीं करने के कारण आपत्ति/आवेदित वाहनों पर लंबित जुर्माना रहने के बावजूद अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है।
- (viii) परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अपर समाहर्ता,
(राजस्व)
मुजफ्फरपुर।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 539/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक 14/10/2025

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

September-2025

क्षेत्रीय पूर्वाहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर कोष क्षेत्र

माह-सितम्बर-2025

दिनांक-14.10.2025 की कार्यावली।

समय:-11:30 बजे पूर्वाहन से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ

• d

✓

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-14.10.2025 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 29.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I	1-1
कार्यावली सं०-(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		परिशिष्ट-II	2-3
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक।		
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।		
	(III)	ऑटो रिक्षा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।		
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी वाहन प्रतिस्थापन किये गये परमितों की सूची।		
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित एवं रद्द किये गए परमितों की सूची।	परिशिष्ट-III	4-5
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV	6-38
	(ii)	एजेंट लाईसेन्स के प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-V	39

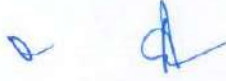
कार्यावली सं०-(1) परिशिष्ट-I गत बैठक दिनांक 29.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।		
क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ।	अनुपालन किया जा रहा है ।





कार्यावली संख्या-2(I-VII) परिशिष्ट-II
प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की
सूची:-दिनांक 30.08.2025 से 13.10.2025 तक।

1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2025-SPL-7430A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।





कार्यावली संख्या-2 (VI)		परिशिष्ट-II			
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या /निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	DHARAMJEET MISHRA, AT-RASULPUR JILANI CHAKKAR ROAD MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PD0879 8/13/2016	BR/106/SC/331/2008	28-Aug-28	
2	SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD, SHEET BASANT FUEL SER NH28 KANTI KASBA INFRONT OF Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PE2296 2/28/2019	BR2020-SC-0271A	8-Mar-30	
3	ASHA DEVI, BHAGWANPUR ZIRAT MOTIHARI Purba Champaran Bihar 845401	BR06PE8796 3/19/2020	BR2020-SC-0456A	9-Sep-30	
4	AJAY KUAMR SHARMA, VILL/PO-KUAMA PS-PIPRAHI SHEOHAR Sheohar Bihar 843329	BR55A3511 9/6/2013	0033/2005	23-Jun-30	
5	GANESH KUMAR, RAJENDRA NAGAR MOTIHARI Purba Champaran Bihar 845401	BR06PE8186 3/5/2020	BR2020-SC-0506A	28-Sep-30	
6	NIBHA THAKUR, AT IMELICHATTI PS BRAHMPURA MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PC9351 7/15/2015	0712/2010	24-Aug-30	
7	MINI DEVI, HARIDASPUR KANTI Muzaffarpur Bihar 843109	BR06PD1696 6/16/2016	0647/2010	9-Aug-30	

कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत्त वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत्त वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	UDAY SHANKAR PRASAD SINGH, AT- SHERPUR MAJHAULIA MUZAFFARPUR MUZKAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	833/10	BR06PG8943	BR06PA4165	
2	RAJESH RANJAN SHUKLA, AT-KARGAHIYA PURBI ANCHAL-BETTIAH BETTIAH Pashchim Champaran Bihar 845438	BR2023-SC-2938A	BR22PA5932	BR22P2141	
3	AMAR JYOTI TRAVELS, AT UMA MARKET THANA GUMTI MOTIJHEEL MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	0329/2009	BR06PG7851	BR06GB7551	
4	NAVNITA KUMARI, JAGDISH KUTIR WARD NO 10 RASULPUR ZILANI MUSHARI Muzaffarpur Bihar 842001	BR2024-SC-0964A	BR06PG4457	BR31PA6066	
5	PANKESH RANJAN, RASULPUR ZILANI CHAKKAR ROAD HPO & KAZI MOHAMMADPUR Muzaffarpur Bihar 842001	BR2024-SC-2353A	BR06PG4456	BR06PD6606	
6	RAJEEV RANJAN, BHAVANIPUR JIRAT TOWN VILL MOTIHARI ANCHAL MOTIHARI E CHAMPARAN Purba Champaran Bihar 845405	0290/2013	BR05PB0096	BR06PB2596	
7	DHURV KUMAR, MOH-GANDHI NAGAR BAGHA W CHAMPARAN Pashchim Champaran Bihar 845406	BR/SC/106/717/2010	BR22PA5985	BR06PA3312	
8	SHAMBHOO KUMAR SINGH, VILL-BHAGAWNUPUR ANCHAL- MUSHAHARI MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	0858/2010	BR05PB8796	BR06PA2496	

परमिट नामान्तरित किये गये परमिटों की सूची।

क्र०सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	नामान्तरित किये गये परमिटों की संख्या- शून्य।			

अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में रद्द किये गये परमिटों की सूची।

क्र०सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	प्रत्यर्पण की तिथि	अभ्युक्ति
1	RAM PRAVESH SINGH	BR2024-SC-1378A	6-Sep-25	
2	KEDAR SINGH	BR2024-SC-2030A	7-Oct-25	
3	BUIDCO	022/2017	6-Sep-25	
4	SATYENDRA NATH MISHRA	BR2024-SC-2818A	8-Sep-25	
5	PRASUN KUMAR	451/2019	8-Sep-25	
6	ALOK KR. PANDE	BR2023-SC-2939A	9-Sep-25	
7	PIYUSH	BR2020-SC-0321A	8-Sep-25	
8	MANOJ KUMAR YADAV	BR2023-SC-1036A	6-Sep-25	
9	PRAMOD KUMAR YADAV	BR2024-SC-2890A	8-Sep-25	
10	POONAM DEVI	BR2023-SC-2220A	6-Sep-25	
11	RAJIV KUMAR	BR2022-SC-0882A	30-Aug-25	
12	RAJESH RANJAN SHUKLA	BR2023-SC-2938A	1-Sep-25	
13	ABHINANDAN PRASAD	BR2022-SC-0809A	1-Sep-25	
14	UDAY SHANKAR PRASAD SINGH	833/10	1-Sep-25	
15	CHANDRA BHUSHAN SHARMA	308/2019	2-Sep-25	
16	SUNIL KUMAR CHAUBEY	BR2024-SC-0321A	2-Sep-25	
17	AJEET KUMAR	BR2022-SC-2662A	6-Sep-25	
18	MANOJ SHARMA	BR2023-SC-3322A	6-Sep-25	
19	PANKESH RANJAN	BR2024-SC-2353A	8-Sep-25	
20	AMAR JYOTI TRAVELS	0329/2009	8-Sep-25	
21	NAVITA KUMARI	BR2024-SC-0964A	8-Sep-25	
22	RAJEEV RANJAN	0290/2013	9-Sep-25	
23	PIYUSH	BR/106/SC/BUS/2019/10	9-Sep-25	
24	BRAJESH KUMAR	Sep-18	11-Sep-25	
25	RAJIV KUMAR	BR/106/SC/592/2011	11-Sep-25	
26	DHURV KUMAR	BR/SC/106/717/2010	12-Sep-25	
27	BARUN PRAKASH PANDEY	BR/106/SC/08/2015	20-Sep-25	
28	SHAMBHOO KUMAR SINGH	0858/2010	20-Sep-25	
29	SHIV KUMAR LATH	BR/106/SC/201/2011	10-Oct-25	
30	MD NURUL HASAN	BR/SC/106/282/2011	13-Oct-25	

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV					सितम्बर- 2025				
एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकटन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
1	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चंद्रेश्वर राय, पता-बी०बी० गंज, भगवानपुर, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. ०६ पी. एफ.-3980 28.07.2016 मॉडल 2016	बी.आर. ०६ पी.एफ.-3980 टैक्स-27.09.2025 फिटनेस-31.05.2026 इन्श्युरेंस-15.05.2026 प्रदूषण-29.11.2025 वीएलटीडी-21.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3755 पुपरी से मुजफ्फरपुर। भाया-रायपुर, महुआगाछी, रून्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, जनार, झपहौं, दोणपुर, सहबाजपुर, न्यूजीरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। पुपरी प्र०-05.28, 09.10, 13.42, मुजफ्फरपुर प्र०-07.07, 11.30, 16.27,	आपत्तिकर्ता श्री पियूष वाहन संख्या-बी०आर० 30 पी०-5952, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 2750ए, वैधता-07.09.2030, मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक रून्नीसैदपुर प्र०-06.23, आपत्तिकर्ता रून्नीसैदपुर प्र०-06.25 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी०आर० 30 पी०-5952 टैक्स-23.12.2025 फिटनेस-17.01.2026 इन्श्युरेंस-24.10.2025 प्रदूषण-23.01.2026 वीएलटीडी-23.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का मध्य बिन्दु रून्नीसैदपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		आवेदन वापस।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निष्पन्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय	
	मो० मनीर अंसारी, पिता-महदुब अंसारी, ग्राम-छोटा बरियारपुर, थाना-मोतिहारी, जिला-पूर्वी	बी.आर. 06 पी. जी.-5974 20.02.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-5974 टैक्स-19.11.2025 फिटनेश-19.02.2027 इन्सुरेंस-19.02.2026 प्रदूषण-19.02.2026 वीएलटीडी-21.03.2027 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल, सहवाजपुर, दोनपुर, झंघा, कोरलहिया, जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.30, 09.36, 14.25, 19.32, पुपरी प्र०-07.10, 11.13, 17.15, 20.53,	श्री मनोज कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०जी०-1108, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 1418ए, वैधता-15.05.2030, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी निर्गत है। आवेदक रून्नीसैदपुर प्र०-17:48, पूर्व से निर्गत परमिट पर रून्नीसैदपुर प्र०-17:46 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी०आर० 06 पी०जी०-1108 टैक्स-01.10.2025 फिटनेश-02.01.2026 इन्सुरेंस-01.01.2026 प्रदूषण-03.01.2026 वीएलटीडी-03.01.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का मध्य बिन्दु रून्नीसैदपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।	
2	बैनर का नाम- नितु राजा।									
3	श्री अंकित राज, पिता-श्री रमेश कुमार, पता-हरिदासपुर, कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-शीत बसंत।	बी.आर. 06 पी. जी.-9121 28.07.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-9121 टैक्स-13.10.2026 फिटनेश-27.07.2027 इन्सुरेंस-02.07.2026 प्रदूषण-27.07.2026 वीएलटीडी-04.08.2027 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-2768 साहेबगंज से मुजफ्फरपुर। भाया-मुरारपुर, मोतीपुर, कांटी, प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। साहेबगंज प्र०-07.05, 11.20, 13.37, 18.45, मुजफ्फरपुर प्र०-10.01, 12.25, 17.34, 19.55	आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०ई०-5481, परमिट संख्या-बी०आर० 2022 एस०सी० 0358ए, वैधता-17.02.2027, मार्ग संख्या-4788, नयागाँव से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-10:01, 17:34, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-10:00, 17:35 समय अन्तराल दोनों में 01 मिनट।	बी०आर० 06 पी०ई०-5481 टैक्स-22.10.2025 फिटनेश-22.11.2025 इन्सुरेंस-29.01.2026 प्रदूषण-24.10.2025 वीएलटीडी-28.08.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना- नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न एवं कॉमन पड़ाव पर ठहराव प्रस्तावित नहीं है। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।	

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निकान की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्रीमती भिवकी कुमारी, पति-श्री रमेश कुमार, पता- चपता, उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर। बैनर का नाम- नितु राजा।	बी.आर. 06 पी. ए.-9287 06.01.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 06 पी.ए.-9287 टैक्स-05.01.2026 फिटनेश-28.10.2025 इन्सुरेंस-13.10.2025 प्रदूषण-10.10.2026 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्तु जिरोमाईल, सहवाजपुर, दोनपुर, झपहा, कोरलहिया, जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-06.29, 11, 17, 14.47, पुपरी प्र०-08.18, 13.12, 16, 06	श्री चन्दन राय द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-7623, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 1439ए, वैधता-11.05.2028, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी निर्गत है। आवेदक महुआगाछी प्र०-08.40, पूर्व से निर्गत परमिट पर महुआगाछी प्र०-08.38 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 06 पी0जी0-7623 टैक्स-26.10.2025 फिटनेश-30.07.2026 इन्सुरेंस-02.03.2026 प्रदूषण-08.08.2026 वीएलटीडी-03.04.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का मध्य बिन्दु महुआगाछी पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		प्रथम खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
4									
5	श्री उमाकान्त सिंह, पिता-स्व० आनंद सिंह, पता-मुजफ्फरपुर मलाही, पोस्ट-हॉसी केबल, थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 01 पी. आर.-7259 28.03.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 01 पी.आर.-7259 टैक्स-22.10.2025 फिटनेश-01.09.2026 इन्सुरेंस-27.01.2026 प्रदूषण-21.01.2026 वीएलटीडी-25.11.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4768 रक्सौल से पटना। भाया-छपवा, मोतिहारी, पिपराकोठी, चकिया बाजार, साहेबगंज, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, जटकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-10:36 पटना प्र०-19:55	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती पुनम देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-9721, परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 1365ए, वैधता-01.08.2029, मार्ग संख्या-4752, बेतिया से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-14:51, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-14:50 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा रक्सौल से पटना जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर 14:40 में आगमन करते हैं जबकि 10 मिनट मध्य बिन्दु पर ठहराव हो रहा है। 2. आपत्तिकर्ता श्री सुमन कुमार वास्ते श्रीमती पुनम देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-9721, परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 1365ए, वैधता-01.08.2029, मार्ग संख्या-4752, बेतिया से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-14:51, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-14:50 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0जी0-9721 टैक्स-13.11.2025 फिटनेश-14.05.2026 इन्सुरेंस-13.05.2026 प्रदूषण-14.05.2026 वीएलटीडी-17.05.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-5500/- 2. बी0आर0 06 पी0जी0-9721 टैक्स-13.11.2025 फिटनेश-14.05.2026 इन्सुरेंस-13.05.2026 प्रदूषण-14.05.2026 वीएलटीडी-17.05.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-5500/-	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री संजीव कुमार, पिता-श्री श्रीनाथ राय, पता-चैनपुरा, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।	बी0आर0 06 पी0ई0-5844 21.11.2019 मॉडल-2019	बी0आर0 06 पी0ई0-5844 टैक्स-17.11.2025 फिटनेश-09.01.2026 इन्सुरेंस-21.07.2026 प्रदूषण-26.12.2025 वीएलटीडी-25.12.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-02774, सोनकी से मुजफ्फरपुर। भाया-मधवापुर, बासुकी, पुपरी, कोईली नानपुर, रायपुर, महुआ गाछी, मेहसौल, रुन्नीसैदपुर, कटौझा, जनाद, कोरलहिया, झंघहा, द्रोणपुर, सहबाजपुर, न्यू जिरोमाईल, प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। सोनकी प्र०-05.52, 13.12, 18.58, मुजफ्फरपुर प्र०-09.54, 16.40, 20.50	आपत्तिकर्ता श्रीमती पुनम देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0डी0-0595, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 1426ए, वैधता-11.05.2028, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-14:29, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-14:32 समय अन्तराल 03 मिनट।	बी0आर0 06 पी0डी0-0595 टैक्स-17.10.2025 फिटनेश-11.08.2026 इन्सुरेंस-02.03.2026 प्रदूषण-02.08.2026 वीएलटीडी-26.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक मध्य एवं आपत्तिकर्ता प्रारंभ बिन्दु पुपरी पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
6	बैनर का नाम- नहीं।								द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निम्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री आनन्द रंजन, पिता-श्री राजीव रंजन, ग्राम-हनुमान नगर, कंकडवाग, जिला-पटना।	बी.आर. 01 पी. व्हा-0051 01.11.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 01 पी.व्हा-0051 टैक्स-31.10.2025 फिटनेश -30.10.2025 इन्शुरेंस-08.10.2025 प्रदूषण-17.01.2026 वीएलटीडी-25.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल, सहबाजपुर, द्रोणपुर, झंफहा, कोरलहिया, जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.50, 11.05, 13.51, 16.45, पुपरी प्र०-07.48, 12.06, 15.10, 18.40,	आपत्तिकर्ता श्री संजीव कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ई0-5844, मार्ग संख्या-02774, सोनकी से मुजफ्फरपुर। आवेदक रून्नीसैदपुर प्र०-17:55, आपत्तिकर्ता रून्नीसैदपुर प्र०-17:55 समय अन्तराल शून्य। आवेदक महुआगाछी प्र०-18:09, आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र०-18:10 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 07 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 06 पर है।	बी0आर0 06 पी0ई0-5844 टैक्स-17.11.2025 फिटनेश-09.01.2026 इन्शुरेंस-21.07.2026 प्रदूषण-26.12.2025 वीएलटीडी-25.12.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता का एजेंडा क्रमांक 06 पर वर्णित समय का खेप कटाव है। आपत्ति अमान्य।	आवेदित वाहन पर आपुत परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 1277ए0, पटना से मधुबनी का एस0टी0ए0 पटना में प्रत्यर्पण हेतु आवेदन प्राप्त है।	
7	बैनर का नाम- नितु राजा।								स्वीकृत।
8	श्री मनोज कुमार, पिता- श्री महेश राय, पता-वार्ड नं०-04, हरिहरपुर, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 30 पी. ए-5398 09.01.2025 मॉडल-2024	बी.आर. 30 पी.ए-5398 टैक्स-29.12.2025 फिटनेश-01.07.2027 इन्शुरेंस-04.03.2026 प्रदूषण-02.07.2026 वीएलटीडी-22.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल, सहबाजपुर, द्रोणपुर, झंफहा, कोरलहिया, जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.19, 08.24, 12.00, 14.32, 18.47, पुपरी प्र०-07.03, 10.10, 13.13, 17.17, 20.35,	1. आपत्तिकर्ता मो० मनीर अंसारी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-5974, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-17:17, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-17:15 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 08 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 02 पर है। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती मिक्की कुमारी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ए0-9287, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-13:13, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-13:12 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 08 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 04 पर है।	1. बी.आर. 06 पी.जी-5974 टैक्स-19.11.2025 फिटनेश-19.02.2027 इन्शुरेंस-19.02.2026 प्रदूषण-19.02.2026 वीएलटीडी-21.03.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी.ए-9287 टैक्स-05.01.2026 फिटनेश-28.10.2025 इन्शुरेंस-13.10.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता का एजेंडा क्रमांक 02 पर वर्णित समय का तृतीय खेप कटाव है। आपत्ति अमान्य। तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 04 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।	तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।	

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकलन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री उत्कर्ष चौधरी, पिता-श्री संजय चौधरी, पता- चौधरी निवास, पत्थर की मस्जिद, सम्पतचक, महेन्द्र जिला-पटना।	बी.आर. 21 पी-8535 23.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 21 पी-8535 टैक्स-27.10.2025 फिटनेश-24.11.2026 इन्शुरेंस-07.04.2026 प्रदूषण-27.10.2025 वीएलटीडी-18.12.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4768 डाउन, पटना से रक्सौल। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, सरैया, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, पिपराकोटी, मोतिहारी, छपदा। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। पटना प्र०-06.25 रक्सौल प्र०-15.02	1. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री अजय कुमार पाण्डेय के द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-3141, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 0306ए, वैधता-04.02.2030, मार्ग संख्या-190, जहानाबाद से बेतिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-19:16, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-19:18 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0जी0-3141 टैक्स-26.12.2025 फिटनेश-26.06.2026 इन्शुरेंस-15.02.2026 प्रदूषण-01.07.2026 वीएलटीडी-26.05.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-21500/-	कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। मार्ग बिन्दु। आपत्ति अमान्य।		
9	बैनर का नाम- नहीं।				2. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री सुमंथ सौरभ वास्ते नागेश्वर राय के द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी0आर0 30 पी0ए0-9661, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 2058ए, वैधता-12.07.2028, मार्ग संख्या-4821, पटना से सीतामढ़ी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-19:16, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-19:18 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी0आर0 30 पी0ए0-9661 टैक्स-13.12.2025 फिटनेश-12.06.2027 इन्शुरेंस-16.09.2026 प्रदूषण-02.06.2026 वीएलटीडी-15.06.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-4000/-	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।
	मो0 जफर तनवीर, पिता-मो0 साकीर हुसैन, पता-आजाद चौक, चादवारा, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. जी.-7671 01.08.2025 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-7671 टैक्स-30.10.2025 फिटनेश-31.07.2027 इन्शुरेंस-31.07.2026 प्रदूषण-31.07.2026 वीएलटीडी-30.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमार्डल, सहवाजपुर, दोनपुर, झंफहा, कोरलहिया, जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-04.10, 07.55, 10.42, 14.19, 17.34, पुपरी प्र०-06.19, 09.10, 12.39, 16.06, 19.40,	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती मिक्की कुमारी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ए0-9287, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-16:06, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-16:06 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 10 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 04 पर है।	1. बी.आर. 06 पी.ए.-9287 टैक्स-05.01.2026 फिटनेश-28.10.2025 इन्शुरेंस-13.10.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।	चतुर्थ खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। एजेंडा क्रमांक 04 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।		
10					2. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-3980, मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक पुपरी प्र०-09:10, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-09:10 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 10 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 01 पर है।	2. बी.आर. 06 पी.एफ.-3980 टैक्स-27.09.2025 फिटनेश-31.05.2026 इन्शुरेंस-15.05.2026 प्रदूषण-29.11.2025 वीएलटीडी-21.08.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। एजेंडा क्रमांक 01 पर आवेदन वापस। आपत्ति अमान्य।		प्रथम एवं चतुर्थ खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
					3. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-6219, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 0848ए, वैधता-28.03.2030, मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक पुपरी प्र०-06:19, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-06:15 समय अन्तराल 04 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0एफ0-6219 टैक्स-29.12.2025 फिटनेश-14.04.2027 इन्शुरेंस-26.03.2026 प्रदूषण-18.04.2026 वीएलटीडी-10.05.2027 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-500/-	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 04 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निवेदन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री अक्केश कुमार, पिता-जगदीप राय, पता-रामपुर हरि, पो0-रामपुर हरि, थाना-मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 06 आर.ए.-8161 04.04.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 आर.ए.-8161 टैक्स-28.12.2025 फिटनेस-03.04.2027 इन्सुरेंस-28.03.2026 प्रदूषण-03.04.2026 वीएलटीडी-30.04.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। माया-न्यु जिरोमाईल, सहबाजपुर, द्रोणपुर, झपहा, कोरलहिया, जनार, रुन्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र0-05.50, 10, 25, 13.05, 17.04, पुपरी प्र0-08.53, 12.03, 15, 18, 18.58,	आपत्तिकर्ता श्री आनन्द रंजन वाहन संख्या-बी0आर0 01 पी0क्यू0-0051, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-05:50, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-05:50 समय अन्तराल शून्य। आवेदक पुपरी प्र0-12:03, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र0-12:06 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 11 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 07 पर है।	बी.आर. 01 पी.क्यू.-0051 टैक्स-31.10.2025 फिटनेस -30.10.2025 इन्सुरेंस-06.10.2025 प्रदूषण-17.01.2026 बीएलटीडी-25.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 07 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।	वाहन पर गलत बैनर प्रदर्शित करने के कारण अस्वीकृत।	
11	बैनर का नाम-पियूष ट्रेवल्स।		जुर्माना-8000/-						
12	श्री संजय कुमार चौधरी, पिता-श्री लाल बाबू चौधरी, पता-ईलाहाबाद बैंक, नगर पंचायत जनकपुर रोड, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी.ई.-6927 14.01.2020 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-6927 टैक्स-13.10.2025 फिटनेस-13.01.2026 इन्सुरेंस -24.01.2026 प्रदूषण- 05.07.2026 वीएलटीडी-05.12.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3755 पुपरी से मुजफ्फरपुर। माया-रायपुर, महुआ गाछी, रुन्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, झपहा, द्रोणपुर, सहबाजपुर, न्यु जीरोमाईल, प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। पुपरी प्र0-03.49, 07.10, 11, 12, 17.05 मुजफ्फरपुर प्र0-05.01, 08, 38, 14.02, 19.42,	आपत्तिकर्ता मो० मनौर अंसारी वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-5974, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र0-07:10, 11:12, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र0-07:10, 11:13 समय अन्तराल क्रमशः शून्य एवं 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 12 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 02 पर है।	बी.आर. 06 पी.जी.-5974 टैक्स-19.11.2025 फिटनेस-19.02.2027 इन्सुरेंस-19.02.2026 प्रदूषण-19.02.2026 वीएलटीडी-21.03.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 02 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।	द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।	

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्देशन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री प्रचुन कुमार, पिता-श्री मिथिलेन्द्र राय, पता-माधव नगर, मोरसंड, रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।	बी.आर. 30 पी. ए-1639 13.06.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 30 पी.ए-1639 टैक्स-12.12.2025 फिटनेस-26.09.2027 इन्सुरेंस-26.05.2026 प्रदूषण-23.01.2026 बीएलटीडी-23.08.2026 एचओएसओआरपीओ-हों। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल, सहयाजपुर, दोनपुर, झंफडा, कोरलहिया, जनार, रुन्नी सैदपुर, गाछी, महुआ रायपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.43, 12. 26, 16.19, 19.31, पुपरी प्र०-10.43, 14.49, 17. 24, 21.23,	आपत्तिकर्ता मो० मनीर अंसारी वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०जी०-5974, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-19:31, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-19:32 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 13 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 02 पर है।	बी.आर. 06 पी.जी.-5974 टैक्स-19.11.2025 फिटनेस-19.02.2027 इन्सुरेंस-19.02.2026 प्रदूषण-19.02.2026 बीएलटीडी-21.03.2027 एचओएसओआरपीओ-हों जुर्माना-नहीं।	चतुर्थ खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 02 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।		चतुर्थ खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
13	बैनर का नाम- पियुष ट्रेवल्स।								

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्वाचन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री ध्रुव कुमार, पिता-श्री सीताराम प्रसाद, पता-यार्ड नं०-18, गौधी नगर पारसनगर, बगहा जिला-प्र० चम्पारण।	बी.आर. 22 पी.ए.-6792 13.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 22 पी.ए.-6792 टैक्स-10.11.2025 फिटनेश-12.08.2027 इन्शुरेंस-07.07.2026 प्रदूषण-12.08.2026 बीएलटीडी-19.08.2027 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3585, बाल्मिकीनगर गोल चौक से बेलिया। भाया-भेड़िहारी, नौरगिया, बाल्मिकीनगर रोड स्टेशन, बगहा स्टेशन, बगहा बाजार, चौतरवा, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। बाल्मिकीनगर गोल चौक प्र०-08.02, बेलिया प्र०-21.20,					
14	बैनर का नाम-लव कुश बस सर्विस प्रा०लि०।				आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
15	श्री आदित्या सिंह, पिता-डॉ० राणा राजेश सिंह, पता-अखराघाट, अहियापुर, शेखपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी.जी.-7719 07.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-7719 टैक्स-05.11.2025 फिटनेश-06.08.2027 इन्शुरेंस-05.08.2026 प्रदूषण-06.08.2026 बीएलटीडी-31.08.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। सुगिया प्र०-06.13, 11.31, 17.00, मुजफ्फरपुर प्र०-09.19, 13.18, 18.48,	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री रमेश कुमार के द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०बी०-9136, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 0307ए, वैधता-04.02.2030, मार्ग संख्या-4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर। आवेदक सुगिया प्र०-11:31, आपत्तिकर्ता सुगिया प्र०-11:27 समय अन्तराल 04 मिनट।	बी०आर० 06 पी०बी०-9136 टैक्स-27.11.2025 फिटनेश-24.08.2026 इन्शुरेंस-26.08.2026 प्रदूषण-06.08.2026 बीएलटीडी-22.08.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का सुगिया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 04 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निष्पन्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय	
16	अम्बिका ट्रेवलस प्रो०-श्रीमती सीमा सिंह, पता-अखराघाट, शेखपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 06 पी.एफ.-3196 एफ.-3196 07.03.2022 मॉडल 2021	बी.आर. 06 पी.एफ.-3196 टैक्स-26.11.2025 फिटनेस-06.03.2026 इन्सुरेंस-27.02.2026 प्रदूषण-20.02.2026 वीएलटीडी-19.09.2026 एचओएसओआरपी०-हैं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। सुगिया प्र०-05.38, 11.43, 15.54, मुजफ्फरपुर प्र०-08.37, 14.15, 17.51,	आपत्तिकर्ता श्री केदार सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०बी०-8236 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक 29.08.2025 में माह जुलाई के एजेंडा क्रमांक 01 पर स्वीकृत है। मार्ग संख्या-4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर। आवेदक सुगिया प्र०-11:43, आपत्तिकर्ता सुगिया प्र०-11:38 समय अन्तराल 05 मिनट।	बी०आर० 06 पी०बी०-8236 टैक्स-09.11.2025 फिटनेस-23.04.2026 इन्सुरेंस-02.07.2026 प्रदूषण-23.07.2026 वीएलटीडी-26.05.2026 एचओएसओआरपी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु सुगिया पर समय अन्तराल 05 मिनट आवश्यक है। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।	
	बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवलस।		जुर्माना-नहीं।			जुर्माना-नहीं।				
17	श्री निरोज कुमार, पिता-श्री मिहेश राय, पता-हरिहरपुर, चैनपुरा, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-नहीं।	न्यु बस। चेचिस नं०-MAT784 059SSA0044 5	न्यु बस।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल सहवाजपुर, द्रोणपुर, झपहॉ, कोरलहिया, जनार, रुन्नीसैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-04.25, 09.20, 15.01, 21.10, पुपरी प्र०-07.56, 10.50, 18.43, 22.45,	1. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०डी०-7623, परमिट संख्या-बी०आर० 2023 एस०सी० 1439ए, वैधता-11.05.2028, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-07:56, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-07:57 समय अन्तराल 01 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री आनन्द रंजन वाहन संख्या-बी०आर० 01 पी०वसु०-0051, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-18:43 आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-18:40 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 17 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 07 पर है। 3. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०जी०-2361, परमिट संख्या-बी०आर० 2024 एस०सी० 1361ए, वैधता-01.08.2029, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-10:50, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-10:50 समय अन्तराल शून्य।	1. बी०आर० 06 पी०डी०-7623 टैक्स-26.10.2025 फिटनेस-30.07.2026 इन्सुरेंस-02.03.2026 प्रदूषण-03.08.2026 वीएलटीडी-03.04.2026 एचओएसओआरपी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 01 पी.वसु-0051 टैक्स-31.10.2025 फिटनेस-30.10.2025 इन्सुरेंस-06.10.2026 प्रदूषण-17.01.2026 वीएलटीडी-25.10.2025 एचओएसओआरपी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 3. बी०आर० 06 पी०जी०-2361 टैक्स-15.10.2025 फिटनेस-16.04.2026 इन्सुरेंस-15.04.2026 प्रदूषण-15.04.2026 वीएलटीडी-15.04.2026 एचओएसओआरपी०-हैं। जुर्माना-4000/-	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य। तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 07 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य।	आवेदक द्वारा आवेदित वाहन का विक्रय प्रमाण पत्र/बिलिंग रसीद संलग्न नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन के क्रम में आवेदित वाहन का विक्रय प्रमाण पत्र/बिलिंग रसीद संलग्न नहीं करने के कारण अस्वीकृत।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निक्कन की तिथि एवं नॉबल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
18	श्री चन्दन राय पिता- श्री उपेन्द्र राय, चैनपुरा, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- नहीं।	न्यु बस। चेचिस नं०-MAT51 335585D07 752	न्यु बस।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल सहवाजपुर, दोगपुर, अपहों, कोरलहिया, जनार, रून्नीसैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.55, 10.06, 12.42, 16.55, पुपरी प्र०-08.18, 11.28, 15.10, 18.35,	1. आपत्तिकर्ता श्री आनन्द रंजन, वाहन संख्या-बी०आर० ०१ पी०क्यू०-००५१, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-15.10, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-15.10 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 18 एवं मेरा आवेदन क्रमांक ०७ पर है। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती मिक्की कुमारी, वाहन संख्या-बी०आर० ०६ पी०ए०-९२८७, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-०८:१८, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-०८:१८ समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक १८ एवं मेरा आवेदन क्रमांक ०४ पर है।	बी.आर. ०१ पी.क्यू.-००५१ टैक्स-३१.१०.२०२५ फिटनेस -३०.१०.२०२५ इन्श्युरेंस-०६.१०.२०२६ प्रदूषण-१७.०१.२०२६ वीएलटीडी-२५.१०.२०२५ एच०एस०आर०पी०-हों जुर्माना-नहीं। बी.आर. ०६ पी.ए.-९२८७ टैक्स-०५.०१.२०२६ फिटनेस-२८.१०.२०२५ इन्श्युरेंस-१३.१०.२०२५ प्रदूषण-०७.१०.२०२६ वीएलटीडी-२४.११.२०२५ एच०एस०आर०पी०-हों। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पुपरी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का एजेंडा क्रमांक ०७ पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य। आपत्तिकर्ता का एजेंडा क्रमांक ०४ पर वर्णित समय का खेप कटाव है। आपत्ति अमान्य।	आवेदक द्वारा आवेदित वाहन का विक्रय प्रमाण पत्र/बिलिंग रसीद संलग्न नहीं किया गया है। आवेदित वाहन का विक्रय प्रमाण पत्र/बिलिंग रसीद संलग्न नहीं करने के कारण अस्वीकृत।	

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
19	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चंदेश्वर राय, पता-बी०बी० गंज, भगवानपुर, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 06 पी. डी.-7623 27.04.2018 मॉडल-2018	बी.आर. 06 पी.डी.-7623 टैक्स-26.10.2025 फिटनेस-31.07.2026 इन्श्युरेंस-02.03.2026 प्रदूषण-08.08.2026 वीएलटीडी-03.04.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल सहवाजपुर, द्रोणपुर, झपहौं, कोरलहिया, जनार, रुन्नीसैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.57, 10.24, 16.12, पुपरी प्र०-07.57, 13.22, 18.50,	1. आपत्तिकर्ता श्री निरोज कुमार वाहन संख्या-न्यु बस, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक पुपरी प्र०-07:57, आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-07:56 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 19 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 17 पर है।		एजेंडा क्रमांक 17 पर वर्णित समय का खेप कटाव है। आपत्ति अमान्य।		आवेदन वापस।
	बैनर का नाम- नितु राजा।				2. आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार चौधरी, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०डी०-3645 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक 29.08.2025 में माह जुलाई के एजेंडा क्रमांक 45 पर परमिट प्रत्यर्पण हेतु जाँच प्रतिवेदन के शर्त पर स्वीकृत है। मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र०-07:10, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र०-07:12 समय अन्तराल 02 मिनट। आवेदक महुआगाछी प्र०-07:26, आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र०-07:28 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी०आर० 06 पी०डी०-3645 टैक्स-20.10.2025 फिटनेस-04.08.2026 इन्श्युरेंस-22.04.2026 प्रदूषण-05.07.2026 वीएलटीडी-29.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु रुन्नीसैदपुर एवं महुआगाछी पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि दोनों में 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
					3. आपत्तिकर्ता श्री अक्वैश कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 06 आर०ए०-6161, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-10:24, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-10:25 समय अन्तराल 01 मिनट। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र०-11:25, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र०-11:26 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 19 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 11 पर है।	3. बी.आर. 06 आर.ए.-6161 टैक्स-28.12.2025 फिटनेस-03.04.2027 इन्श्युरेंस-28.03.2026 प्रदूषण-03.04.2026 वीएलटीडी-30.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-8000/-	एजेंडा क्रमांक 11 पर वर्णित समय का खेप कटाव है। आपत्ति अमान्य।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री राहुल कुमार, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०ए०-5352 का कहना है कि प्राधिकार की बैठक 29.08.2025 में माह अगस्त के एजेंडा क्रमांक 29 पर परमिट प्रत्यर्पण हेतु जाँच प्रतिवेदन के शर्त पर स्वीकृत है। मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र०-17:50 आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र०-17:50 समय अन्तराल शून्य।	4. बी०आर० 06 पी०ए०-5352 टैक्स-14.11.2025 फिटनेस-17.06.2026 इन्श्युरेंस-24.12.2025 प्रदूषण-13.11.2025 वीएलटीडी-10.06.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु रुन्नीसैदपुर पर समय अन्तराल शून्य जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
					5. आपत्तिकर्ता श्री चन्दन राय वाहन संख्या-न्यु बस, मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-05:57, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-05:55 समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 19 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 18 पर है।		प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 18 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विक्रम की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
20	श्री अजीत कुमार, पिता-श्री राम संजीवन शाही, पता- सहबाजपुर, भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. ई.-7136 23.01.2020 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-7136 टैक्स-10.10.2025 फिटनेस-26.01.2026 इन्शुरेंस-10.01.2026 प्रदूषण-25.04.2026 वीएलटीडी-22.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरियानी, मौनापुर। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। सुगिया प्र०-02.43, 08.09, 13.05, 17.27, मुजफ्फरपुर प्र०-04.58, 09.59, 16.11, 20.12,	आपत्ति अग्रप्राप्त।				स्वीकृत।
21	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-श्री राम एकबाल पाण्डेय, पता-पकडी डुमरीया, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस।	बी.आर. 05 पी. बी.-3495 25.02.2020 मॉडल 2019	बी.आर. 05 पी.बी.-3495 टैक्स-20.11.2025 फिटनेस-01.04.2026 इन्शुरेंस-03.07.2026 प्रदूषण-19.02.2026 वीएलटीडी-08.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-2465, सिवान से रक्सौल। भाया-मीरगंज, गोपालगंज, मोहम्मदपुर, खजुरिया, मोतीहारी, छपवा, सुगौली, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। सिवान प्र०-05.02, रक्सौल प्र०-11.03.	1. आपत्तिकर्ता श्री वरुण प्रकाश पाण्डेय, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-3198, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 1167ए, वैधता-16.04.2028, मार्ग संख्या-4783 डाउन, रक्सौल से मोतिहारी। आवेदक रक्सौल प्र०-11.03, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-11.03 समय अन्तराल शून्य।	1. बी0आर0 06 पी0एफ0-3198 टैक्स-26.11.2025 फिटनेस-06.03.2026 इन्शुरेंस-27.02.2026 प्रदूषण-21.05.2026 वीएलटीडी-20.02.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु रक्सौल पर समय अन्तराल शून्य जबकि 07/05 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		वाहन पर एफ0 आई0आर0 एवं आपत्ति के आलोक में आवेदन अस्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार का कहना है कि आवेदक के वाहन पर सारण प्राधिकार की बैठक दिनांक-01.08.2025 के आदेश में उक्त वाहन का परमिट अस्वीकृत करते हुए एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिसके आलोक में सारण डाउन थाना में दिनांक-04.08.2025 को एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है। जिसका एफ0आई0आर0 नं०-5123004250459 है।		आवेदित वाहन पर थानाध्यक्ष नगर थाना छपरा द्वारा फर्जी बीमा पर बस परिचालन हेतु एफ0आई0आर0 दर्ज है।		
					3. आपत्तिकर्ता प्रवीण कौसर वाहन संख्या-बी0आर0 28 पी0-3888, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 0244ए, वैधता-31.01.2030, मार्ग संख्या-3675, गुठनी से रक्सौल। आवेदक मोतिहारी प्र०-01.53, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-01.50 समय अन्तराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि रक्सौल से मोतिहारी 54 कि०मी० पहुंचने में 2 घंटा 39 मिनट एवं डाउन में 1 घंटा 35 मिनट में पहुँच रहे हैं।	3. बी0आर0 28 पी0-3888 टैक्स-27.11.2025 फिटनेस-02.09.2026 इन्शुरेंस-02.09.2026 प्रदूषण-07.09.2026 वीएलटीडी-08.09.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मोतिहारी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य। आपत्ति अमान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या/चिह्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
22	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-श्री राम एकबाल पाण्डेय, पता-पकड़ी डुमरीया, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर. 01 पी.आर-3359 20.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 01 पी.आर-3359 टैक्स-12.11.2025 फिटनेश-12.08.2026 इन्सुरेंस-02.01.2026 प्रदूषण-08.10.2025 वीएलटीडी-23.12.2026 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-2465, सिवान से रक्सौल। भाया-मीरगंज, गोपालगंज, मोहम्मदपुर, खजुरिया, मोतीहारी, छपवा, सुगौली, प्रतिदिन एक खेप	1. आपत्तिकर्ता श्री सुमथ सौरभ, वाहन संख्या-बीओआर 06 पीओ-7796, परमिट संख्या-0292/2013, वैधता-03.07.2028, मार्ग संख्या-2661, रक्सौल से मोतिहारी। आवेदक रक्सौल प्र०-15:11 आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-15:11 समय अन्तराल शून्य।	1. बीओआर 06 पीओ-7796 टैक्स-21.12.2025 फिटनेश-19.07.2026 इन्सुरेंस-10.07.2025 प्रदूषण-09.07.2026 वीएलटीडी-30.06.2026 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु रक्सौल पर समय अन्तराल शून्य जबकि 07/05 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		आपत्ति 1, 2 एवं 3 के आलोक में अस्वीकृत।
	बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस।			जाना-आना। सिवान प्र०-07:57, रक्सौल प्र०-15:11.	2. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बीओआर 05 पीओबी-8293, परमिट संख्या-बीओआर 2025 एसओसीओ 2014एओ, वैधता-06.07.2030, मार्ग संख्या-2766, साहेबगंज से मोतिहारी। आवेदक मोतिहारी प्र०-17:11, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-17:14 समय अन्तराल 03 मिनट।	2. बीओआर 05 पीओबी-8293 टैक्स-03.12.2025 फिटनेश-20.03.2027 इन्सुरेंस-03.03.2026 प्रदूषण-20.03.2026 वीएलटीडी-23.04.2027 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक का मध्य एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु मोतिहारी पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।		
					3. आपत्तिकर्ता श्री रामतपस्या यादव, वाहन संख्या-बीओआर 06 पीओएफओ-1859, परमिट संख्या-बीओआर 2024 एसओसीओ 2050एओ, वैधता-06.10.2029, मार्ग संख्या-2465 डाउन, रक्सौल से सिवान। आवेदक मोहम्मदपुर प्र०-09:55, आपत्तिकर्ता मोहम्मदपुर प्र०-09:57 समय अन्तराल 02 मिनट।	3. बीओआर 06 पीओएफओ-1859 टैक्स-23.10.2025 फिटनेश-30.07.2027 इन्सुरेंस-26.07.2026 प्रदूषण-22.10.2025 वीएलटीडी-29.08.2026 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मोहम्मदपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
					4. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार, वाहन संख्या-बीओआर 05 पीओबी-7344, परमिट संख्या-बीओआर 2025 एसओसीओ 1635एओ, वैधता-01.06.2030, मार्ग संख्या-2465, सिवान से रक्सौल। आवेदक रक्सौल प्र०-15:11, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-15:05 समय अन्तराल 06 मिनट।	4. बीओआर 05 पीओबी-7344 टैक्स-27.11.2025 फिटनेश-24.06.2026 इन्सुरेंस-23.06.2026 प्रदूषण-22.06.2026 वीएलटीडी-08.07.2026 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु रक्सौल पर समय अन्तराल 06 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। आपत्ति अमान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/पिकप की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
23	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-श्री राम एकबाल पाण्डेय, पता-पकडी डुमरीया, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-आलोक बस सर्विस।	बी.आर. 05 पी. बी.-5361 24.03.2021 मॉडल 2020	बी.आर. 06 पी.बी.-5361 टैक्स-21.11.2025 फिटनेस-19.05.2027 इन्सुरेंस-03.07.2026 प्रदूषण-09.05.2026 वीएलटीडी-24.04.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं0-2766 साहेबगंज से मोतिहारी। भाया-कैसरिया, खजुरिया, कोटवा, प्रतिदिन तीन खेप जाना-आना। साहेबगंज प्र0-05.46, 09.50, 14.50, मोतिहारी प्र0-08.24, 12.43, 16.54,	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती गीता देवी, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ए0-3185, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 1428ए0, वैधता-15.05.2030, मार्ग संख्या-2766, साहेबगंज से मोतिहारी। आवेदक खजूरिया प्र0-11:06, आपत्तिकर्ता खजूरिया प्र0-11:03 समय अन्तराल 03 मिनट। आवेदक मोतिहारी प्र0-12:43, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0-12:45 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0ए0-3185 टैक्स-29.04.2026 फिटनेस-04.02.2026 इन्सुरेंस-01.11.2025 प्रदूषण-27.02.2026 वीएलटीडी-15.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का खजूरिया मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मोतिहारी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।	वाहन पर एफ0 आई0आर0 होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।	
					2. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार का कहना है कि आवेदक के वाहन पर सारण प्राधिकार की बैठक दिनांक-01.08.2025 के आदेश में उक्त वाहन का परमिट अस्वीकृत करते हुए एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिसके आलोक में सारण टाउन थाना में दिनांक-04.08.2025 को एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है। जिसका एफ0आई0आर0 नं0-5123004250459 है।		आवेदित वाहन पर थानाध्यक्ष नगर थाना छपरा द्वारा फर्जी बीमा पर बस परिचालन हेतु एफ0आई0आर0 दर्ज है।		
24	श्री मनोज शर्मा, पिता-श्री रामाशीष शर्मा, पता-नवलपुर, जिला-प0 चम्पारण। बैनर का नाम-शर्मा ट्रेवलस।	बी.आर. 22 जी.-5031 02.12.2010 मॉडल 2010	बी.आर. 22 जी.-5031 टैक्स-30.11.2025 फिटनेस-13.11.2025 इन्सुरेंस-10.11.2025 प्रदूषण-01.08.2026 वीएलटीडी-14.10.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं0-4807, मुजौना से बगहा स्टेशन। भाया-दुधियाबा, नवलपुर, बथबरिया, रतवल, रजबरिया, चखनी, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। मुजौना प्र0-11.45, बगहा स्टेशन प्र0-14.00,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
25	श्री राज कुमार सिंह, पिता-श्री सूरज सिंह, पता-गजीपुर जयसिंहपुर, डुमरी, कटसराय, जिला-शिवहर। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 06 पी. जी.-1616 02.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-1616 टैक्स-30.10.2025 फिटनेस-01.08.2027 इन्सुरेंस-30.07.2026 प्रदूषण-01.08.2026 वीएलटीडी-12.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-4000/	मार्ग संख्या-2471 डाउन, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। भाया-सहबाजपुर, द्रोणपुर, झपडा, सैदपुर, गाढा, बोहा, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र0-04.28, 08.55, 13.08, 19.34, सीतामढ़ी प्र0-06.58, 11.55, 16.00, 21.22,	आपत्तिकर्ता श्री राजेश कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 30 पी0-4351, परमिट संख्या-36/14, वैधता-15.06.2024, मैनुअल परमिट, अमनपुर से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र0-06:58, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र0-06:59 समय अन्तराल 01 मिनट। एजेंडा प्रकाश के उपरान्त श्री राज कुमार सिंह द्वारा सूचित किया गया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा सीतामढ़ी प्रस्थान का समय गलत दर्शाया गया है।	बी0आर0 30 पी0-4351 टैक्स-13.11.2025 फिटनेस-10.09.2026 इन्सुरेंस-02.05.2026 प्रदूषण-19.11.2025 वीएलटीडी-09.09.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक का प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु सीतामढ़ी पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।	प्रथम खेप कटाव के साथ स्वीकृत।	

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / पिक्चर की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
26	श्री अतुल रंजन, पिता-श्री जय प्रकाश तिवारी, पता-बालुघाट, बेराय निवास, मुसहरी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-मंगला।	बी.आर. 06 पी.डी.-8801 20.09.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी.डी.-9001 टैक्स-19.12.2025 फिटनेस-25.09.2026 इन्शुरेंस -15.07.2028 प्रदूषण-04.05.2026 वीएलटीडी-01.10.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-4810, बेला से सीतामढ़ी। भाया-परिहार, कुम्मा, प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। बेला प्र०-04.39, 06.34, 09.44, 12.42, 15.49, सीतामढ़ी प्र०-05.45, 07.33, 11.51, 14.06, 18.42,	आपत्तिकर्ता श्री सुरेश कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 30 पी0-1132 का कहना है कि आवेदित समय-सारणी में द्वितीय खेप से भाया गलत दर्शाया गया है।	बी0आर0 30 पी0-1132 टैक्स-21.11.2025 फिटनेस-28.09.2026 इन्शुरेंस -14.01.2026 प्रदूषण-06.09.2026 वीएलटीडी-29.05.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	समय-सारणी में अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव अंकित नहीं है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।
27	श्री विकास रंजन, पिता-श्री बिरेन्द्र प्रसाद यादव, पता-अगरपुर लालगंज, जिला-पैशाली। बैनर का नाम-हरहर महादेव।	बी.आर. 06 पी.जी.-4519 08.10.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-4519 टैक्स-07.01.2026 फिटनेस-07.10.2026 इन्शुरेंस -07.10.2026 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-06.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-2910 नवलपुर से मिठापुर पटना। भाया-बैतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरौरा, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। नवलपुर प्र०-02:36 मिठापुर पटना प्र०-17.05	आपत्तिकर्ता श्री रविन्द्र नाथ चौबे, वाहन संख्या-बी0आर0 05 पी0ए0-1603, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 1875ए, वैधता-03.07.2028, मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से पटना। आवेदक पहाड़पुर प्र०-03:58, आपत्तिकर्ता पहाड़पुर प्र०-04.00 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 05 पी0ए0-1603 टैक्स-22.12.2025 फिटनेस-09.09.2026 इन्शुरेंस -02.04.2026 प्रदूषण-15.12.2025 वीएलटीडी-18.08.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-3500/-	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु पहाड़पुर पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।
28	श्री बिपुल रंजन कुमार, पिता-श्री राम ज्ञान मिश्रा, पता-अंधरा परसौनी, वार्ड नं०-16, परसौनी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-जय हनुमान।	बी.आर. 30 पी.-3857 24.08.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 30 पी.-3857 टैक्स-23.11.2025 फिटनेस-13.11.2025 इन्शुरेंस-16.05.2026 प्रदूषण-02.10.2026 वीएलटीडी-21.11.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी, प्रतिदिन सात खेप जाना-आना। बेलसंड प्र०-05.31, 06.45, 08.15, 09.23, 11.38, 14.28, 17.06, सीतामढ़ी प्र०-05.55, 07.09, 08.40, 10.25, 13.15, 16.26, 17.48,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निष्पत्ति की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
29	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सततन राय, पता-जलालपुर, लालगंज, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. जी.-7658 01.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-7658 टैक्स-29.10.2025 फिटनेस-31.07.2027 इन्शुरेंस-29.07.2026 प्रदूषण-31.07.2026 वीएलटीडी-30.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से पटना। भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। नवलपुर प्र०-09.52, पटना प्र०-18.32,	आपत्तिकर्ता श्री सौन्दर्य कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 05 पी0बी0-0795 परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 2880ए, वैधता-05.10.2028, मार्ग संख्या-2658 डाउन, पटना मिठापुर से रक्सौल। आवेदक अरेराज प्र०-11.31, आपत्तिकर्ता अरेराज प्र०-11.30, समय अन्तराल 01 मिनट।	बी0आर0 06 पी0बी0-0795 टैक्स-06.12.2025 फिटनेस-23.06.2027 इन्शुरेंस -05.07.2026 प्रदूषण-07.05.2026 वीएलटीडी-17.06.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
30	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सततन राय, पता-जलालपुर, लालगंज, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. जी.-7657 01.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-7657 टैक्स-29.10.2025 फिटनेस-31.07.2027 इन्शुरेंस-29.07.2026 प्रदूषण-31.07.2026 वीएलटीडी-30.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से पटना। भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। नवलपुर प्र०-02.06, पटना प्र०-10.20,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
31	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सततन राय, पता-जलालपुर, लालगंज, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. जी.-7658 01.08.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.-7658 टैक्स-29.10.2025 फिटनेस-31.07.2027 इन्शुरेंस-29.07.2026 प्रदूषण-31.07.2026 वीएलटीडी-30.08.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से पटना। भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना-आना। नवलपुर प्र०-01:44 पटना प्र०-08:20	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्यात की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
32	श्री संजय उपाध्याय, पिता-शिवपूजन उपाध्याय, पता-सिरिसिया, बेहारी बनकटवा, जिला-पश्चिम चम्पारण। बैनर का नाम-जय माँ भवानी।	बी.आर. 22 पी.ए-6435 03.03.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 22 पी.ए-6435 टैक्स-27.11.2025 फिटनेस-02.03.2027 इन्सुरेंस-27.02.2026 प्रदूषण-02.03.2026 वीएलटीडी-29.04.2027 एच0एस0आर0पी0-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2412 सिकटा से लालगढ़। भाया-बलथर, बैसखवा, बेतिया। प्रतिदिन पाँच खेप जाना-आना। सिकटा प्र०-02:19, 06:12, 10:35, 15:54, 19:05 लालगढ़ प्र०-03:49, 08:49, 13:45, 17:34, 20:55	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
33	श्रीमती किरण शुक्ला, पति-स्व० कौशलेन्द्र शुक्ला, पता-116, स्पीकर लेन, नया टोला, मुशहरी, काजी मोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जय माता दी।	बी.आर. 06 पी.जी०-8551 03.07.2025 मॉडल-2025	बी.आर. 06 पी.जी०-8551 टैक्स-01.01.2026 फिटनेस-01.07.2027 इन्सुरेंस-04.03.2026 प्रदूषण-02.07.2026 वीएलटीडी-22.06.2027 एच0एस0आर0पी0-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3604 डाउन, बेतिया से पटना। भाया-छपवा, मोतिहारी, पीपराही, कोठी, कल्याणपुर, चकिया बाजार, साहेबगंज, मोतिपुर, महना बाजार, कौंटी, रीशनपानापुर, मुजफ्फरपुर, रामदयालु नगर, फकुली, जतकौलीघाट, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। बेतिया प्र०-09:47 पटना प्र०-21:14	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निविदा की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
34	श्रीमती पुनम देवी, पति—श्री मनोज कुमार यादव, पता—बी०बी० गंज, भगवानपुर थाना—सदर, जिला—मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 06 पी. —6521 16.12.2008 मॉडल—2008	बी.आर. 06 पी.—6521 टैक्स—16.12.2025 फिटनेस—07.09.2026 इन्शुरेंस—30.08.2026 प्रदूषण—17.09.2025 वीएलटीडी—25.08.2026 एच०एस०आर०पी०—नहीं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2694 रामलीलागाछी से मुजफ्फरपुर। भाया—बैरिया, भाया, देवरिया, जसीली, बरुराज, मोहमदपुर, मोतीपुर, कौंटी। प्रतिदिन एक खेप जाना—आना। रामलीलागाछी प्र०—06:30 मुजफ्फरपुर प्र०—16:12	1. आपत्तिकर्ता श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह बास्ते पंकज कुमार, वाहन संख्या—बी०आर० 03 पी०बी०—1425 कहना है कि आवेदित समय—सारणी में मोतीपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 25 कि०मी० एवं रामलीला गाछी से देवरिया की दूरी 07 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि मोतीपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 31 कि०मी० एवं रामलीला गाछी से देवरिया की दूरी 11 कि०मी० है।	1. बी०आर० 03 पी०बी०—1425 टैक्स—13.11.2025 फिटनेस—30.09.2026 इन्शुरेंस—14.02.2026 प्रदूषण—28.11.2025 वीएलटीडी—05.09.2026 एच०एस०आर०पी०—हाँ। जुर्माना—नहीं।	आपत्ति में अंकित दूरी के आधार पर भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय—सारणी सॉफ्टवेयर भाया के अनुरूप है। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
	बैनर का नाम— नितु राजा।				2. आपत्तिकर्ता श्री विनोद कुमार जयसवाल, वाहन संख्या—बी०आर० 06 पी०बी०—0534, परमिट संख्या—210/2012, वैधता—14.06.2027, मैनुअल परमिट, भवानीपुर से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०—16.12, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०—18.15, समय अन्तराल 03 मिनट।	2. बी०आर० 06 पी०बी०—0534 टैक्स—16.09.2026 फिटनेस—23.02.2026 इन्शुरेंस—27.02.2026 प्रदूषण—24.03.2026 वीएलटीडी—19.02.2026 एच०एस०आर०पी०—हाँ। जुर्माना—नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		
35	श्री दितीप ठाकुर, पिता—स्व० राम दास ठाकुर, पता—झीया, वार्ड नं०—17, लालगंज, जिला—वैशाली। बैनर का नाम— नहीं।	बी.आर. 31 पी. ए—2070 09.09.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 31 पी.ए—2070 टैक्स—08.12.2025 फिटनेस—08.09.2026 इन्शुरेंस—07.09.2026 प्रदूषण—23.12.2025 वीएलटीडी—25.07.2027 एच०एस०आर०पी०—हाँ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2910 नवलपुर से मिठापुर पटना। भाया—बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरैराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना—आना। नवलपुर प्र०—03:32 पटना प्र०—17:09	आपत्ति अप्राप्त।		आवेदित वाहन समान मार्ग पर परमिट से आवृत है एवं नया आवेदन छः माह के अन्दर समर्पित किया गया है।	समय—सारणी में बेतिया से नवलपुर 25 कि०मी० की दूरी 20 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। गति—75 कि०मी०/घंटा।	अस्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपति	आपतिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
36	बी०यु०आई०डी० सी०ओ०, युजर-बी०एस०आर० टी०सी०, जिला-पटना। बैनर का नाम- बी०एस०आर०टी० सी०।	बी.आर. ०१ पी. एच.-4286 02.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. ०१ पी.एच.-4286 टेक्स-14.11.2025 फिटनेस-19.06.2026 इन्सुरेंस-नहीं। प्रदूषण-02.07.2025 वीएलटीडी-07.09.2027 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-2000/-	मार्ग संख्या-2557 पहसौल से मुजफ्फरपुर। भाया-बैगना, रामपुर, औराई, राजाघड़ा, रुन्नीसैदपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। पहसौल प्र०-06:00, 12:15 मुजफ्फरपुर प्र०-09:15, 16:20	आपति अप्राप्त।				स्वीकृत।
37	बी०यु०आई०डी० सी०ओ०, युजर-बी०एस०आर० टी०सी०, जिला-पटना। बैनर का नाम- बी०एस०आर०टी० सी०।	बी.आर. ०१ पी. एच.-4280 02.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. ०१ पी.एच.-4280 टेक्स-29.10.2025 फिटनेस-14.07.2026 इन्सुरेंस-नहीं। प्रदूषण-21.06.2025 वीएलटीडी-07.09.2027 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-4500/-	मार्ग संख्या-2557 पहसौल से मुजफ्फरपुर। भाया-बैगना, रामपुर, औराई, राजाघड़ा, रुन्नीसैदपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। पहसौल प्र०-09:32, 16:00 मुजफ्फरपुर प्र०-13:00, 19:30	आपति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकल की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
38	बी०यु०आई०डी० सी०ओ०, युजर-बी०एस०आर० टी०सी०, जिला-पटना।	बी.आर. 01 पी. एच.-4328 03.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 01 पी.एच.-4328 टैक्स-29.10.2025 फिटनेश-19.06.2026 इन्शुरेंस-नहीं। प्रदूषण-21.06.2025 वीएलटीडी-07.09.2027 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-8000/-	मार्ग संख्या-2557 पहसौल से मुजफ्फरपुर। भाया-बैगना, रामपुर, औराई, राजाघड़ा, रून्नीसंदपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। पहसौल प्र०-07:50, 15:00 मुजफ्फरपुर प्र०-12:01, 18:15	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
39	श्री पंकज कुमार, पिता-श्री मायाकान्त ठाकुर, पता-महम्मदपुर, पो०-बंगरा, देवरिया, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- शिव शक्ति।	बी.आर. 03 पी. बी.-1425 22.03.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 03 पी.बी.-1425 टैक्स-13.11.2025 फिटनेश-30.09.2026 इन्शुरेंस-14.02.2026 प्रदूषण-28.11.2025 वीएलटीडी-06.09.2026 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2694 रामलीलागाछी से मुजफ्फरपुर बैरिया। भाया-देवरिया, जसौली, बरुराज, महम्मदपुर, मोतीपुर, कोटी। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। रामलीलागाछी प्र०-06:10, 12:20 मुजफ्फरपुर बैरिया प्र०-10:15, 16:13	1. आपत्तिकर्ता श्री विनोद कुमार जयसवाल, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०बी०-0534, परमिट संख्या-210/2012, वैधता-14.06.2027 मैनुअल परमिट, भवानीपुर से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-16.13, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-16.15, समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मोतीपुर में 10 मिनट का ठहराव दिया गया है जबकि मोतीपुर वाहन का मध्यबिंदु है। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती पूनम देवी, वाहन संख्या-बी.आर. 06 पी.-6521, रामलीलागाछी से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-16.13, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-16.12, समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 39 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 34 पर है।	1. बी०आर० 06 पी०बी०-0534 टैक्स-16.09.2026 फिटनेश-23.02.2026 इन्शुरेंस -27.02.2026 प्रदूषण-24.03.2026 वीएलटीडी-19.02.2025 एच०एस०आर०पी०-हो। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी.-6521 टैक्स-16.12.2026 फिटनेश-07.09.2026 इन्शुरेंस -30.09.2026 प्रदूषण-17.09.2025 वीएलटीडी-25.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्तिकर्ता का एजेडा क्रमांक 34 पर वर्णित समय स्वीकृत है। आपत्ति मान्य।		द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्यात की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अग्रगुक्ति	विवरण	निर्णय
40	श्री राजेश कुमार, पिता-श्री शिवजी साह, पता-पानापुर करियात, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- आरीश ज्ञानान।	बी.आर. 05 पी. बी.-8554 03.06.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 05 पी.बी.-8554 टैक्स-29.11.2025 फिटनेस-02.06.2027 इन्सुरेंस-02.06.2026 प्रदूषण-02.06.2026 वीएलटीडी-30.06.2027 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना- नहीं।	मार्ग संख्या-2656 रक्सौल से बेतिया। भाया-समगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन छः खेप जाना-आना। रक्सौल प्र०-03:18, 07:35, 08:56, 13:01, 15:32, 17:53 बेतिया प्र०-04:52, 08:51, 11:40, 14:28, 16:44, 19:24	1. आपत्तिकर्ता श्री बरुण प्रकाश पाण्डेय, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-7598 परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी014.14ए, वैधता-04.08.2029, मार्ग संख्या-4783 डाउन, रक्सौल से मोतिहारी। आवेदक रक्सौल प्र०-09.56, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-09.59 समय अन्तराल 03 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री विनोद सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0-9512 परमिट संख्या-बी0आर0 2022 एस0सी0 0152ए, वैधता-13.01.2027, मार्ग संख्या-2656, रक्सौल से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-08.51, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-08.54, समय अन्तराल 03 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0एफ0-7598 टैक्स-23.12.2025 फिटनेस-08.04.2027 इन्सुरेंस-20.01.2026 प्रदूषण-08.04.2026 वीएलटीडी-02.05.2027 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी0आर0 06 पी0-9512 टैक्स-23.12.2025 फिटनेस-01.08.2025 इन्सुरेंस-18.09.2026 प्रदूषण-07.03.2026 वीएलटीडी-28.07.2025 एचओएसओपीओ-नहीं। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का रक्सौल प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। कॉमन रुट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बेतिया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
41	श्री सुनिल कुमार सिंह, पिता-श्री कृष्णा सिंह, पता-वार्ड नं०-4 जगदीशपुर पश्चिम चम्पारण। जिला-पश्चिम चम्पारण। बैनर का नाम- सिंह लोक।	बी.आर. 22 पी.ए.-7451 ए.-7451 14.04.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 22 पी.ए.-7451 टैक्स-29.12.2025 फिटनेस-13.04.2027 इन्सुरेंस-30.03.2026 प्रदूषण-13.04.2026 वीएलटीडी-29.04.2027 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-500/-	मार्ग संख्या-2412 सिकटा से लालगढ़। भाया-बलथर, बैसखवा, बेतिया। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। सिकटा प्र०-02:59, 08:29, 11:39, 16:19, 18:56 लालगढ़ प्र०-04:29, 09:49, 13:17, 17:29, 19:59	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
42	श्री सुमन कुमार सिंह, पिता-श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, पता-सेमरी, धाना-मशरख, जिला-सारण। बैनर का नाम- श्री हरि।	बी.आर. 04 जे.-2329 -2329 01.11.2010 मॉडल 2010	बी.आर. 04 जे.-2329 टैक्स-31.10.2025 फिटनेस-18.02.2026 इन्सुरेंस-03.07.2026 प्रदूषण-25.11.2025 वीएलटीडी-14.07.2026 एचओएसओपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बेलसंड प्र०-10:38, 14:06, 16:01 सीतामढ़ी प्र०-11:08, 15:23, 16:51	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेडा क्रम	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्वाण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
43	श्री विकास कुमार यादव, पिता-शम्भु यादव, पता-वार्ड नं०-6 इगिलशिया, पो०-बेलवामोड, थाना-चौतरवा, जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी.आर. 01 पी. ई.-0195 08.04.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 01 पी.ई.-0195 टैक्स-29.09.2025 फिटनेस-04.03.2026 इन्सुरेंस-05.05.2026 प्रदूषण-28.07.2026 वीएलटीडी-31.03.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-A2241 ठकराहा से बगहा। भाया-भुईगरवा, बलुआ, रेडिहॉ, खैरवा, तमकुहवा, वासी ए. धनहा, बगहॉ बाजार। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। ठकराहा प्र०-03:00, 08:25 बगहॉ प्र०-05:48, 11:14	1. आपत्तिकर्ता श्री साहिल सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०एफ०-0839 परमिट संख्या-बी०आर० 2023 एस०सी० 0754ए, वैधता-03.03.2028, मार्ग संख्या-ए2241, ठकराहा से बगहा। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में ठकराहा से बगहा की दूरी 89 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि विभागीय पोर्टल पर 87 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है साथ ही भुईगरवा से बलुआ के बीच गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। 2. आपत्तिकर्ता रूपेश कुमार सिंह का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में ठकराहा से बगहा की दूरी 89 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि विभागीय पोर्टल पर 87 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। भुईगरवा से बलुआ के बीच गति सीमा का भी उल्लंघन हो रहा है। 3. आपत्तिकर्ता श्री राजेश रंजन शुक्ला, वाहन संख्या-बी०आर० 22 पी०ए०-5377 परमिट संख्या-बी०आर० 2022 एस०सी० 0812ए, वैधता-15.04.2027, मार्ग संख्या-3814, बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बगहा प्र०-11.14, आपत्तिकर्ता बगहा प्र०-11.12 समय अन्तराल 02 मिनट। आवेदक बगहा बाजार प्र०-11.25, आपत्तिकर्ता बगहा बाजार प्र०-11.27 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी०आर० 06 पी०एफ०-0839 टैक्स-27.10.2025 फिटनेस-13.05.2027 इन्सुरेंस -29.07.2026 प्रदूषण-20.01.2026 वीएलटीडी-21.05.2027 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-7500/-	प्रथम खेप में भुईगरवा से बलुआ 3.5 कि०मी० की दूरी 3 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। अधिकतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। आपत्ति मान्य।		गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।
	बैनर का नाम- शिवदानी						आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन एवं परमिट की प्रति संलग्न नहीं किया गया है।		
						3. बी०आर० 22 पी०ए०-5377 टैक्स-23.10.2025 फिटनेस-07.02.2026 इन्सुरेंस -23.01.2026 प्रदूषण-02.02.2026 वीएलटीडी-15.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-4500/-	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बगहा प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 05 मिनट आवश्यक। द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बगहा बाजार मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।		

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / पिछेपन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
	श्री रणवीर कुमार, पिता-श्री शत्रुघन ठाकुर, पता-मधौल माधेपुर सुस्ता, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर. 31 पी.ए-9640 11.11.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 31 पी.ए-9640 टैक्स-10.11.2025 फिटनेस-08.12.2026 इन्शुरेंस-02.12.2025 प्रदूषण-09.05.2026 वीएलटीडी-26.12.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, रौशन पानापुर, कोटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-14:56 बेतिया प्र०-22:28	1. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री अमन कुमार वास्ते श्री सुधीर कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0ई0-6961 परमिट संख्या-बी0आर0 2020 एस0सी0 0306ए. वैधता-13.03.2030, मार्ग संख्या-3587, बेला से पटना। आवेदक पटना प्र०-14:56, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-14:58 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0ई0-6961 टैक्स-25.12.2025 फिटनेस-22.12.2025 इन्शुरेंस-22.10.2025 प्रदूषण-23.09.2026 वीएलटीडी-21.12.2026 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
44	बैनर का नाम-ओम साईराम।				2. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री सुमथ सोरभ वास्ते रितु शर्मा द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी0आर0 05 पी0ए0-8040 परमिट संख्या-048/2019, वैधता-07.04.2024, मैनुअल परमिट, पटना से नरकटियागंज। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-02:20, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-02:20 समय अन्तराल शून्य।	2. बी0आर0 05 पी0ए0-8040 टैक्स-04.10.2025 फिटनेस-30.09.2026 इन्शुरेंस-28.09.2025 प्रदूषण-29.09.2025 वीएलटीडी-24.10.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-1000/-	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।	आवेदन वापस।	आवेदन वापस।
45	श्री उत्कर्ष चौधरी, पिता-संजय चौधरी, पता-चौधरी निवास पत्थर के मस्जिद, जिला-पटना। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 01 पी.के.-2121 कै.-2121 25.06.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 01 पी.के.-2121 टैक्स-16.12.2025 फिटनेस-28.02.2027 इन्शुरेंस-08.06.2026 प्रदूषण-30.04.2026 वीएलटीडी-15.04.2027 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4768 रक्सौल से पटना। भाया-छपवा, मोतिहारी, पिपरा कोठी, चकिया बाजार, साहेबगंज, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-07:40 पटना प्र०-20:19	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती पूनम कुमारी वास्ते श्री महिप कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-4111 परमिट संख्या-बी0आर0 2024 एस0सी0 2475ए, वैधता-12.11.2029, मार्ग संख्या-4768, रक्सौल से पटना। आवेदक रक्सौल प्र०-07:40, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-07:45, समय अन्तराल 05 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0एफ0-4111 टैक्स-15.11.2025 फिटनेस-18.02.2027 इन्शुरेंस-12.02.2026 प्रदूषण-31.03.2026 वीएलटीडी-06.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का रक्सौल प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 05 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत
					2. आपत्तिकर्ता श्री सुमन्त सोरभ, वाहन संख्या-बी0आर0 06 जी0सी0-9896 परमिट संख्या-424/2013, मैनुअल परमिट, जमुनिया से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-10:22 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-10:21 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी0आर0 06 जी0सी0-9896 टैक्स-03.12.2025 फिटनेस-04.03.2024 इन्शुरेंस-14.01.2024 प्रदूषण-09.09.2025 वीएलटीडी-15.09.2026 एच0एस0आर0पी0-हों। जुर्माना-नहीं।			

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अंगुक्ति	विवरण	निर्णय
46	श्री सुभाष चंद्र तिवारी, पिता-श्री राज किशोर तिवारी पता-जनकी स्थान, वार्ड नं०-02, नबदेपुर, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- शिवदानी रोडवेज।	बी.आर. 22 पी. ए-5882 23.12.2020 मॉडल 2020	बी.आर. 22 पी.ए-5882 टैक्स-02.12.2025 फिटनेस-11.07.2027 इन्सुरेंस-14.05.2026 प्रदूषण-29.07.2026 वीएलटीडी-01.07.2026 एचओएसओआरपी०-हों। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-A2241 ठकराहा से बगहा। भाया-भुईगरवा, बलुआ, रेडिहों, खैरवा, तमकुहवा, वासी ए, धनहा, बगहा बाजार। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। ठकराहा प्र०-04:30, 09:25, 14:56 बगहों प्र०-07:03, 12:10, 17:29	1. आपत्तिकर्ता श्री साहिल सिंह, वाहन संख्या-बी०आर० 06 पी०एफ०-0839 परमिट संख्या-बी०आर० 2023 एस०सी० 0754ए, वैधता-03.03.2028, मार्ग संख्या-ए2241, ठकराहा से बगहा। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में ठकराहा से बगहा की दूरी 89 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि विभागीय पोर्टल पर 87 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। बगहा बाजार से बगहा एवं बगहा बाजार से धनहा की दूरी को तय करने में लगने वाला समय भिन्न है।	1. बी०आर० 06 पी०एफ०-0839 टैक्स-27.10.2025 फिटनेस-13.05.2027 इन्सुरेंस -29.07.2026 प्रदूषण-20.01.2026 वीएलटीडी-21.05.2027 एच०एस०आर०पी०-हों। जुर्माना-7500/-	समय-सारणी के प्रथम खेप में बगहा बाजार से बगहा, द्वितीय खेप में बगहा बाजार से धनहा एवं तृतीय खेप में खैरवा से तमकुहवा के बीच आगमन-प्रस्थान में गलत समय अंकित किया गया है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण।	समय-सारणी त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत।	
					2. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री राजेश रंजन शुक्ला द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या-बी०आर० 22 पी०ए०-5463, परमिट संख्या-228/2013 वैधता-29.06.2028, मैनुअल परमिट, मंशाटोला से बगहा स्टेशन आवेदक बगहा बाजार प्र०-07:15, आपत्तिकर्ता बगहा बाजार प्र०-07:16 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी०आर० 22 पी०ए०-5463 टैक्स-29.09.2025 फिटनेस-07.07.2026 इन्सुरेंस -29.06.2026 प्रदूषण-07.07.2026 वीएलटीडी-29.09.2027 एच०एस०आर०पी०-हों। जुर्माना-12000/-	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बगहा बाजार मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		
47	श्री रामप्रकाश सिंह, पिता-वासुदेव सिंह, पता-मालपुर सिंघारा सिंघारा बुजुर्ग, जिला-वैशाली। बैनर का नाम- शिव शक्ति।	बी.आर. 01 पी. आर-0864 13.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 01 पी.आर-6864 टैक्स-17.11.2025 फिटनेस-14.01.2027 इन्सुरेंस-07.08.2026 प्रदूषण-07.07.2026 वीएलटीडी-08.10.2026 एचओएसओआरपी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2893 जन्दाहा से पटना। भाया-नारी, महुआ, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। जन्दाहा प्र०-05:24, 11:35 पटना प्र०-09:14, 14:59	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निचयन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अस्त्युक्ति	विवरण	निर्णय
48	श्री अभिषेक कुमार, पिता—श्री मनोज कुमार राय, पता—महुआ सम राय, महुआ, जिला—वैशाली। बैनर का नाम—नितेश ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी. जी.—7324 04.07.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.—7324 टैक्स—03.01.2026 फिटनेस—03.07.2027 इन्सुरेंस—29.06.2026 प्रदूषण—03.07.2026 वीएलटीडी—04.08.2027 एच0एस0आर0पी0—हो। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2603 पटोरी से मुजफ्फरपुर। भाया—जन्दाहा, महुआ, मरीचा। प्रतिदिन तीन खेप जाना—आना। पटोरी प्र०—06:08, 10:01, 14:13 मुजफ्फरपुर प्र०—08:20, 12:27, 16:21	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/पिचिंग की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
49	श्री सुभाष चन्द्र तिवारी, पिता-राजकिशोर तिवारी, पता-जानकी स्थान, वार्ड नं०-02 जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- शिवदानी रोडवेज।	बी.आर. 31 पी. बी.-5925 18.06.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 31 पी.बी.-5925 टैक्स-08.12.2025 फिटनेस-17.06.2027 इन्शुरेंस-08.06.2026 प्रदूषण-17.06.2026 वीएलटीडी-16.07.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3815 पुरेनिया से बेतिया। भाया-बेतिया, मानपुर, चकर्सन, कमतानगर, सहनीला, पिरासी, पदमौल, सिंहासनी, मैनाटॉड, बलथर, बैसखवा, बेतिया। प्रतिदिन चार खेप जाना-आना। पुरेनिया प्र०-02:25, 06:25, 12:07, 16:15 बेतिया प्र०-04:25, 10:13, 14:33, 18:55	1. आपत्तिकर्ता श्री रूपेश कुमार सिंह वास्ते श्री सुनिल कुमार सिंह का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में पुरेनिया से बेतिया की दूरी 66 कि०मी० दर्शाया गया है जबकि विभागीय पोर्टल पर 52 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। पूर्व में वाहन सं०-बी.आर. 05 पी.-4520, परमिट संख्या-बी०आर० 2023 एस०सी० 1829ए०, मार्ग संख्या-3817, पचरौता से बेतिया निर्गत है। आवेदक बैसखवा प्र०-13.34, पूर्व से निर्गत परमिट पर बैसखवा प्र०-13.36, समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी.आर. 05 पी.-4520 टैक्स-30.11.2025 फिटनेस-01.04.2026 इन्शुरेंस-17.03.2026 प्रदूषण-07.12.2025 वीएलटीडी-27.04.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बैसखवा मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य। आपत्ति एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) का पत्रांक-983 दिनांक-27.08.2025 के प्रतिवेदन के आलोक में दो पड़ाव/कुल दूरी पर गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।		
					2. आपत्तिकर्ता श्री रूपेश कुमार सिंह, वास्ते श्री सजय उपाध्याय, वाहन संख्या-बी.आर. 22 पी.ए.-6435, सिकटा से लालगढ़। आवेदक बैसखवा प्र०-05.01, आपत्तिकर्ता बैसखवा प्र०-05.00 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 49 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 32 पर है।	2. बी.आर. 22 पी.ए.-6435 टैक्स-27.11.2025 फिटनेस-02.03.2027 इन्शुरेंस-27.02.2026 प्रदूषण-02.03.2026 वीएलटीडी-29.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बैसखवा मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 32 पर वर्णित समय स्वीकृत। आपत्ति मान्य।		आवेदक के अनुरोध पर आवेदन वापस।
					3. आपत्तिकर्ता श्री रूपेश कुमार सिंह वास्ते श्री सुनिल कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी.आर. 22 पी.ए.-7451, सिकटा से लालगढ़। आवेदक बलथर प्र०-11.09, आपत्तिकर्ता बलथर प्र०-11.11, समय अन्तराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार आवेदक का क्रमांक 49 एवं मेरा आवेदन क्रमांक 41 पर है।	3. बी.आर. 22 पी.ए.-7451 टैक्स-29.12.2025 फिटनेस-13.04.2027 इन्शुरेंस-30.03.2026 प्रदूषण-13.04.2026 वीएलटीडी-29.04.2027 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-500/-	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का बलथर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। एजेंडा क्रमांक 41 पर वर्णित समय स्वीकृत। आपत्ति मान्य।		

एजेण्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निचोच की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
50	श्री अनिल कुमार राय, पिता-राम लालीन राय, पता-डी०ए०बी० स्कूल के पास नगर परिषद् जनकपुर रोड पुपरी, थाना-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 06 पी. बी.-7452 09.05.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.बी.-7452 टैक्स-16.10.2025 फिटनेस-08.01.2026 इन्शुरेंस-24.12.2025 प्रदूषण-03.01.2026 वीएलटीडी-25.12.2025 एस०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4716 खैंगुरा से मुजफ्फरपुर बैरिया। माया-पहसौल, जजुआर, महिसौथा, बुधनगरा, भाउर, गाछी, महुआ, रून्नीसैदपुर, जनार, कोआडी, अपहों। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। खैंगुरा प्र०-05:49, 15:22 मुजफ्फरपुर बैरिया प्र०-12:52, 16:27	आपत्तिकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार राय, वाहन सं०-बी.आर. 31 पी.-9691 का कहना है कि आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जिसका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है।	बी.आर. 31 पी.-9691 टैक्स-16.11.2025 फिटनेस-13.06.2026 इन्शुरेंस -16.09.2026 प्रदूषण-10.10.2026 वीएलटीडी-29.01.2026 एस०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है जिसका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। आर०टी०ए० दरमंगा, मार्ग लहरियासराय से बेला, परमिट संख्या-बी०आर० 2025 एस०सी० 0608ए०, वैधता-09.03.2030 तक।	सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि प्रत्यर्पण आवेदन कार्यालय में जमा कर दिया गया है जिसका रसीद उपलब्ध कराया गया है।	परमिट प्रत्यर्पण जाँच की शर्त पर स्वीकृत।

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री अभिषेक कुमार, पिता-रामतपस्यापुरी, पता- रामपुर खजुरिया, डुमरियाघाट, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR05PB-0220 परमिट संख्या- BR2025-SC- 2056A टैक्स-29.10.2025 फिटनेस-28.04.2027 इन्श्युरेंस-11.04.2026 प्रदुषण-07.01.2026 वी.एल.टी.डी.-24.04.2026 एचओएसओआरपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	5500 /- 09.09.2025	मार्ग संख्या-4077 डाउन मोतिहारी से सिवान। भाया-खजुरिया, महम्मदपुर, गोपालगंज, मिरगंज। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मोतिहारी प्र०-06:42, 15:56 सिवान प्र०-12:29, 21:06	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।
2	श्री रमेश महतो, पिता-बंगाली महतो, पता-सिसही मालदी, जिला-पश्चिम चम्पारण।	BR06PF-2419 परमिट संख्या- BR2025-SC- 2248A टैक्स-26.10.2025 फिटनेस-12.03.2026 इन्श्युरेंस-28.10.2025 प्रदुषण-06.01.2026 वी.एल.टी.डी.-10.03.2026 एचओएसओआरपीओ-हैं। जुर्माना-नहीं।	5500 /- 09.09.2025	मार्ग संख्या-2199 सिवान से मोतिहारी। भाया-मीरगंज, गोपालगंज, महम्मदपुर, खजुरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सिवान प्र०-03:40, 10:55, 19:55 मोतिहारी प्र०-07:43, 15:32, 23:25	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।

e d

h

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
3	श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-भारत भूषण सिंह, पता-झखरा, पिपराकोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR05PB-8452 परमिट संख्या- BR2025-SC- 2240A टैक्स-04.11.2025 फिटनेश-05.05.2027 इन्शुरेंस-11.05.2026 प्रदुषण-05.05.2026 वी.एल.टी.डी.-04.06.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-4000/-	4500/- 09.09.2025	मार्ग संख्या-2199 सिवान से मोतिहारी। भाया-मीरगंज, गोपालगंज, महम्मदपुर, खजुरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सिवान प्र०-03:10, 10:21, 15:38 मोतिहारी प्र०-06:35, 12:51, 19:25	आपत्तिकर्ता श्री मंजीत कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 05 पी0बी0-8194, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 1239ए0, वैधता-06.05.2030, मार्ग संख्या-2199, सिवान से मोतिहारी। आवेदक मीरगंज प्र०-15:18 आपत्तिकर्ता मीरगंज प्र०-15:20 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 05 पी0बी0-8194 टैक्स-09.11.2025 फिटनेश-17.02.2027 इन्शुरेंस-09.02.2026 प्रदुषण-17.02.2026 वी.एल.टी.डी.-12.03.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-2500/-	आपत्ति के आलोक में मीरगंज सारण प्राधिकार के अन्तर्गत है। आपत्ति अमान्य।	स्वीकृत।
4	श्रीमति रेणु शुक्ला, पति-ललन शुक्ला, पता-शुशिला भवन, प्रभात नगर गोबरशाही भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PE-1650 परमिट संख्या- BR2025-SC- 0666A टैक्स-13.11.2025 फिटनेश-12.05.2027 इन्शुरेंस-12.02.2026 प्रदुषण-09.02.2026 वी.एल.टी.डी.-12.05.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	5500/- 09.09.2025	मार्ग संख्या-1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर। भाया-सकरी, दरमंगा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मधुबनी प्र०-08:25, 14:30, 19:39 मुजफ्फरपुर प्र०-11:25, 17:00, 21:58	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम पता एव पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
5	श्री अशोक कुमार सिंह, पिता-कमलदेव सिंह, पता-त्रिलोकवा कोन्हिआ, राजपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR06PG-7141 परमिट संख्या- BR2025-SC- 1508A टैक्स-04.12.2025 फिटनेस-05.03.2027 इन्शुरेंस-28.02.2026 प्रदुषण-05.03.2026 वी.एल.टी.डी.-29.04.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-500/-	5500/- 09.09.2025	मार्ग संख्या-1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर। माया-सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मधुबनी प्र०-03:20, 08:03, 12:30, 17:16 मुजफ्फरपुर प्र०-05:50, 10:25, 14:45, 19:40	आपत्तिकर्ता श्री अमय कुमार, वाहन संख्या-बी0आर0 07 पी0ए0-2689, परमिट संख्या-बी0आर0 2023 एस0सी0 0147ए0, वैधता-09.01.2028, मार्ग संख्या-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-14:45 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-14:48 समय अन्तराल 03 मिनट।	बी0आर0 07 पी0ए0-2689 टैक्स-11.11.2025 फिटनेस-21.12.2025 इन्शुरेंस-03.08.2025 प्रदुषण-20.12.2025 वी.एल.टी.डी.-09.12.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति के आलोक में मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।	स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
6	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता—देवनन्दन सिंह, पता—अमला टोला, कटिहार, थाना—कटिहार, जिला—कटिहार।	BR06PG-6322 परमिट संख्या— BR2025-SC-1509A टैक्स—19.09.2025 फिटनेश—19.06.2026 इन्शुरेंस—16.06.2026 प्रदुषण—03.07.2026 वी.एल.टी.डी.—18.06.2026 एच0एस0आर0पी0—हों। जुर्माना—नहीं।	5500 / — 09.09.2025	मार्ग संख्या—1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर। माया—सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मधुबनी प्र०—04:12, 09:23, 14:24, 18:20 मुजफ्फरपुर प्र०—06:46, 11:42, 16:25, 20:34	1. आपत्तिकर्ता सीमा सिंह वास्ते अम्बिका ट्रेवल्स, वाहन संख्या—बी0आर0 06 पी0एफ0—1966, परमिट संख्या—बी0आर0 2022 एस0सी0 1275ए0, वैधता—02.06.2027, मार्ग संख्या—50, पटना से मधुबनी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०—06:46 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०—06:49 समय अन्तराल 03 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0एफ0—1966 टैक्स—09.11.2025 फिटनेश—15.08.2027 इन्शुरेंस—10.08.2026 प्रदुषण—17.12.2025 वी.एल.टी.डी.—26.07.2026 एच0एस0आर0पी0—हों। जुर्माना—नहीं।	आपत्ति के आलोक में मुजफ्फरपुर प्रज्ञाव पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।	द्वितीय खेप में आवेदक का प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।
					2. आपत्तिकर्ता ईश्वर दयाल सिंह, वाहन संख्या—बी0आर0 06 पी0एफ0—9035, परमिट संख्या—बी0आर0 2023 एस0सी0 3039ए0, वैधता—26.10.2028 मार्ग संख्या—50, पटना से मधुबनी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०—11:42 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०—11:43 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0एफ0—9035 टैक्स—14.12.2025 फिटनेश—04.05.2027 इन्शुरेंस—13.12.2025 प्रदुषण—17.12.2025 वी.एल.टी.डी.—18.02.2027 एच0एस0आर0पी0—हों। जुर्माना—69500 / —		
					3. आपत्तिकर्ता श्रवण कुमार सिंह, वाहन संख्या—बी0आर0 06 पी0बी0—7039, परमिट संख्या—बी0आर0 2021 एस0सी0 3086ए0, वैधता—13.12.2026 मार्ग संख्या—131, मुजफ्फरपुर से पुर्णिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०—16:25 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०—16:27 समय अन्तराल 02 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0बी0—7039 टैक्स—24.12.2025 फिटनेश—18.05.2023 इन्शुरेंस—15.07.2022 प्रदुषण—12.07.2025 वी.एल.टी.डी.—नहीं। एच0एस0आर0पी0—नहीं। जुर्माना—नहीं।	आपत्ति के आलोक में कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। मार्ग भिन्न। आपत्ति अमान्य।	

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
7	श्री गोविन्द कुमार, पिता-अनिल सिंह, पता-बेरुआ, इब्राहिमपुर, पिराहरि, सरफुद्दिनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PG-5578 परमिट संख्या- BR2025-SC-0998A टैक्स-13.10.2025 फिटनेश-13.01.2027 इन्श्युरेंस-13.01.2026 प्रदुषण-13.01.2026 वी.एल.टी.डी.-12.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	5500 /- 09.09.2025	मार्ग संख्या-1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर। भाया-सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मधुबनी प्र0-05:50, 10:49, 16:30 मुजफ्फरपुर प्र0-08:36, 12:54, 18:30	1. आपत्तिकर्ता श्रवण कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0जी0-0739, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 1051ए0, वैधता-14.04.2030 मार्ग संख्या-209, जमालपुर से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-18:30 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-18:31 समय अन्तराल 01 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता मोहन कुमार सिंह, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-8135, परमिट संख्या-बी0आर0 2025 एस0सी0 0339ए0, वैधता-05.02.2030 मार्ग संख्या-209, जमालपुर से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-08:36 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-08:37 समय अन्तराल 01 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता सीमा सिंह वास्ते अम्बिका ट्रेवल्स, वाहन संख्या-बी0आर0 06 पी0एफ0-1966, परमिट संख्या-बी0आर0 2022 एस0सी0 1275ए0, वैधता-02.06.2027 मार्ग संख्या-50, पटना से मधुबनी। आवेदक मधुबनी प्र0-10:49 आपत्तिकर्ता मधुबनी प्र0-10:50 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0जी0-0739 टैक्स-22.11.2025 फिटनेश-09.11.2025 इन्श्युरेंस-23.06.2026 प्रदुषण-03.12.2025 वी.एल.टी.डी.-19.04.2027 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-6500/- 2. बी0आर0 06 पी0एफ0-8135 टैक्स-09.10.2025 फिटनेश-20.07.2027 इन्श्युरेंस-09.07.2026 प्रदुषण-11.07.2026 वी.एल.टी.डी.-10.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी0आर0 06 पी0एफ0-1966 टैक्स-09.11.2025 फिटनेश-15.08.2027 इन्श्युरेंस-10.08.2026 प्रदुषण-17.12.2025 वी.एल.टी.डी.-26.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति के आलोक में कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। मार्ग भिन्न। आपत्ति अमान्य। आपत्ति के आलोक में कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। मार्ग भिन्न। आपत्ति अमान्य। आपत्ति के आलोक में मधुबनी दरभंगा प्राधिकार के अन्तर्गत है। आपत्ति अमान्य।	स्वीकृत।

कार्यावली सं० (3)(ii)		परिशिष्ट-V			सितम्बर-2025	
एजेन्ट अनुज्ञप्ति						
क्र० संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री चंदन कुमार सिंह, पिता-श्री मनोज कुमार सिंह, पता-रामजानकी मंदीर, मधुबनी कला, थाना-चिरौया, जिला-पूर्वी चम्पारण।	845895772446	3500 / - 08.09.2025	पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2025/176081 दिनांक-08.08.2025		स्वीकृत।
2	श्री गौरव कुमार, पिता-श्री मोहन सहनी, पता-शिव मंदीर मारीपुर, पो०-प्रधान डाक घर, थाना-काजीमोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	845948208959	3500 / - 09.09.2025	पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2025/1155375 दिनांक-07.08.2025		स्वीकृत।

14/10
अपर समाहर्ता (राजस्व)
-सह-सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

14/10/25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

14/10/25
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।